+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट - 2025-26)

(March 2025)

(Part V)

TOPICS TO BE COVERED

- महिला सशक्तिकरण: समावेशिता की दिशा में व्यावहारिक पहल
- महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम: बहुक्षेत्रीय पहल

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महिला सशक्तिकरण: समावेशिता की दिशा में व्यावहारिक पहल

जेंडर बजटिंग: महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण

- स्त्री-पुरुष समानता आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्र की रीढ़ माना जाता है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की जनसंख्या 48.4% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 49.7% है। महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- हालांकि, महिलाएं जन्म से ही भेदभाव, शोषण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का सामना करती हैं, जैसे लिंग चयनात्मक गर्भपात और उपेक्षा। सरकार इन असमानताओं को कम करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े कानून लागू कर रही है। इस संदर्भ में, जेंडर बजटिंग (GB) स्त्री-पुरुष असमानता को कम करने में एक महत्वपूर्ण उपाय है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जेंडर बजटिंग (GB) की अवधारणा:

- जेंडर बजटिंग सरकार का एक शक्तिशाली राजकोषीय उपकरण है, जो स्त्री-पुरुष भेदभाव को कम करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें आय-व्यय का पुनर्गठन, बजट का जेंडर आधारित मूल्यांकन, और बजटीय प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना शामिल है।
- जेंडर बजटिंग को पहली बार 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपनाया। 1993 में कनाडा, फिर 1995 में फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में इसे लागू किया गया। 1995 में बीजिंग में चौथे विश्व महिला सम्मेलन में इसे वैश्विक मान्यता मिली, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी।

भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा:

- भारत में जेंडर बजटिंग को आधिकारिक रूप से 2005-06 में केंद्रीय बजट में शामिल किया गया ताकि बजटीय आवंटन के माध्यम से महिला-केंद्रित या महिला-समर्थक योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है और सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी करता है कि वे अपनी योजनाओं में जेंडर संबंधी मुद्दों को शामिल करें।

- 2023-24 तक बजट दो श्रेणियों में विभाजित था, लेकिन 2024-25 से इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई है:

  1. **भाग क** – 100% महिला-केंद्रित योजनाएं।
  2. **भाग ख** – कम से कम 30% महिलाओं के लिए योजनाएं।
  3. **भाग ग** – 30% से कम महिलाओं के लिए प्रावधान वाली योजनाएं।

- वित्त मंत्रालय (2023) के अनुसार, जेंडर बजटिंग मंत्रालयों और विभागों को जेंडर संबंधी चिंताओं को पहचानने, प्राथमिकता देने और समाधान करने का अवसर प्रदान करता है।

जेंडर बजटिंग में रुझान (2005-06 से 2025-26):

- 2005-06 में जब भारत में जेंडर बजटिंग लागू किया गया था, तब केवल नौ मंत्रालयों ने जेंडर के आधार पर आवंटन को शामिल किया था, और जेंडर बजटिंग के लिए 14,378.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो कुल केंद्रीय बजट का 2.8 प्रतिशत था। हालांकि, 2011-12 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अधिक आवंटन के कारण, जेंडर बजटिंग के तहत कुल केंद्रीय बजट का 6.37 प्रतिशत आवंटन किया गया, जिसमे आवंटन के लिए 29 मंत्रालय/विभाग शामिल थे।

- फिर 2011-12 के बाद, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की खराब निगरानी और मूल्यांकन के कारण जेंडर बजटिंग में आवंटन कम हो गया। हालांकि, सरकार ने 2014-2015 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह राशि कुल केंद्रीय बजट का मात्र 5.6 प्रतिशत थी और 36 मंत्रालयों/विभागों को जेंडर बजट के लिए फंड मिला।
- जेंडर बजट 2024-25 ने 2014-15 के जेंडर बजट के बाद से अपने आवंटन में ऐतिहासिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जो 233.73 प्रतिशत है। पिछले वर्ष, यानी 2024-25 में जेंडर बजट में 43 मंत्रालयों/विभागों को समायोजित करते हुए कुल आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक का सबसे अधिक है।
- जेंडर बजटिंग के संदर्भ में 2025-26 में जेंडर बजट 4,49,028.68 करोड़ रुपये (8.86% केंद्रीय बजट) हो गया, जो पिछले वर्ष से 37.25% अधिक है, और 56 मंत्रालयों को आवंटित किया गया। यह स्त्री-पुरुष असमानता को कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जेंडर बजटिंग 2025-26 का विवरण:

भाग 'क' के तहत आबंटन:

- जेंडर बजट 2025-26 के भाग 'क' के तहत 1,05,535.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 26 मंत्रालयों में जेंडर बजट का 23.50% है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके तहत आबंटन निम्नवत हैं:
  - ➢ **'नमो ड्रोन दीदी' योजना** का बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 950.85 करोड़ रुपये किया गया।
  - ➢ **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** को 19,005 करोड़ रुपये मिले, जिससे ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण मिलेगा।
  - ➢ **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण)** को 78,126 करोड़ रुपये आवंटित, जो भाग 'क' का 74.02% है।
  - ➢ **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की योजनाओं का बजट पिछले वर्ष के समान ही रहा।
  - ➢ **एलपीजी कनेक्शन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय** का बजट 9,094 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 0.01 करोड़ रुपये रह गया।

भाग 'ख' के तहत आबंटन:

- जेंडर बजट 2025-26 के भाग 'ख' में 63.53% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल आवंटन 3,26,672 करोड़ रुपये हो गया, जो महिला-समर्थक योजनाओं का 72.75% है। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ऊर्जा तक महिलाओं की पहुंच को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत आबंटन निम्नवत हैं:

➢ **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** – 1,07,638.78 करोड़ रुपये (खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए)।

➢ **स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग** – 26,458.18 करोड़ रुपये, जिसमें से 12,375 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा योजना के लिए।

➢ **पशुपालन और डेयरी विभाग** – पहली बार 540 करोड़ रुपये आवंटित (ग्रामीण महिलाओं के लिए)।

➢ **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** – 39,436.43 करोड़ रुपये, जिसमें एम्स और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं।

➢ **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** – 2,904.36 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन – 20,476 करोड़ रुपये।

➢ **रूफटॉप सोलर योजना** – 9,600 करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष से दोगुना है।

➢ **ग्रामीण विकास विभाग** – 47,604.85 करोड़ रुपये (भाग 'ख' का 14.57%), जिसमें 40,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए और 7,604.85 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए।

➢ **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** – 18,459.91 करोड़ रुपये, जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 17,207.22 करोड़ रुपये।

➢ **मिशन वात्सल्य** – 1,050 करोड़ रुपये (बाल संरक्षण और विकास के लिए)।

➢ **जनजातीय मामलों का मंत्रालय** – 4,175.26 करोड़ रुपये (आदिवासी शिक्षा और विकास के लिए)।

भाग 'ग' के तहत आबंटन:

- जेंडर बजट 2025-26 के भाग 'ग' में 16,821.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.14% की वृद्धि है। इसमें 22 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया, जबकि 2024-25 में केवल कृषि और किसान कल्याण विभाग को ही धन आवंटित हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि जेंडर बजटिंग में भाग 'ग' का विस्तार महिलाओं की कृषि, उद्यमिता और जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देता है।

- इसके तहत आबंटन निम्नवत हैं:
  - ➢ **सबसे बड़ा आवंटन** – 15,000 करोड़ रुपये **(89.17%) कृषि और किसान कल्याण विभाग** को, विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए।
  - ➢ **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग** – 455 करोड़ रुपये (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए)।
  - ➢ **विदेश मंत्रालय** – 171.30 करोड़ रुपये।
  - ➢ **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** – 169.16 करोड़ रुपये।

भारत में जेंडर बजटिंग की आगे की राह:

- आजकल जेंडर बजटिंग बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन इस बात पर जोर देना अधिक महत्वपूर्ण है कि जेंडर बजटिंग अनिवार्य रूप से सरकार की जेंडर योजनाओं की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने का कार्य है और यह महिलाओं के लिए एक अलग या पृथक बजट नहीं है। यद्यपि देश में जेंडर बजटिंग की शुरुआत स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करने और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि जेंडर बजट 2025-26 के तहत किए गए आवंटन मुख्य रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाले निवेशों को प्राथमिकता देकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित हैं। सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए आवंटन समान अवसर सुनिश्चित करने और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। भारत सरकार ने इसके जरिये एक स्थायी ढांचा तैयार किया है, जो महिलाओं को लाभान्वित करता है और देश के समग्र विकास को गति देता है।
- ऐसे जेंडर बजट 2025-2026 सिर्फ एक बजट से कहीं अधिक है; यह अधिक समान भविष्य का खाका है जिसमें स्त्री-पुरुष समानता सिर्फ एक विचार के बजाय एक वास्तविकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम: बहुक्षेत्रीय पहल

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा एक गंभीर चुनौती:

- भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बनी हुई है। कानूनों और नीतियों में सुधार के बावजूद, महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी, ऑनर किलिंग, साइबर अपराध और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। इस मुद्दे को समझने और हल करने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल अपनानी होगी जिसमें कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी संबंधी और आर्थिक हस्तक्षेप भी शामिल हों।

- इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग नीतिगत सुधारों, जागरूकता अभियानों और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महिलाओं से जुड़े क़ानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना:

- भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है।
- **महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला कानून, 2005**- इसके तहत घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरन्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और क्षतिपूर्ति) कानून, 2013**- यौन प्रताड़ना (शोषण) रोकने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य है।
- **दहेज निषध कानून, 1961**- इसके तहत दहेज लेने-देने और दहेज के करण उत्पीड़न को अपराधा माना जाता है।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया क़ानून)**-यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को मजबूती मिली है तथा दुष्कर्म और तेजाब फेंकने जैसे अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
- **बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012**- इस कानून का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है।

- हालांकि, महिलाओं के खिलाफ कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं। इनका समाधान करने के लिए:
  - ➢ फास्ट-ट्रैक अदालतों और महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
  - ➢ कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के लिए लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण आवश्यक है।
  - ➢ पीड़ित सहायता सेवाओं (आश्रय, कानूनी सहायता, ट्रामा परामर्श) का विस्तार किया जाना चाहिए।
  - ➢ एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर कानूनी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
- इन संदर्भों में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) मामलों की निगरानी, कानूनी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना:

- उल्लेखनीय है कि दीर्घावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को अधिकार देकर सशक्त बनाना जरूरी है।

- ग्राम स्तर पर महिला संगठन और स्व-सहायता समूहों के गठन जैसी पहलों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को समर्थन और साधन मिल जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम और महिला हेल्पलाइन-181 के लागू होने से पीड़िताओं को सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलने लगी है।
- फिर, पड़ोस निगरानी कार्यक्रम और लिंग-संवेदी शहरी नियोजन जैसी पहलों से समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों से सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- साथ ही, धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के कारण होने वाले हानिकारक परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेरित करके भी समाज की सोच और मानसिकता बदली जा सकती है।

सोच या मानसिकता बदलने में शिक्षा की भूमिका:

- उल्लेखनीय है कि लिंग आधारित हिंसा का प्रमुख कारण बनने वाले पुरुष-प्रधान मान्यताओं को जड़ से मिटाने में शिक्षा बहुत सशक्त साधन है। स्कूली शिक्षा में लिंग संवेदना विकसित करने, समानता पर चर्चाएं कराने और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से मानसिकता बदली जा सकती है।

- इसके अतिरिक्त अध्यापकों को समावेशी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे रूढ़िवादी सोच खत्म कर सम्मान और समानता की भावना बढ़ा सकें।
- युवा महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित की जा सकती है।
- मीडिया (फिल्में और विज्ञापन) के सहयोग से लिंग आधारित भ्रामक धारणाओं को रोका और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- माता-पिता और अभिभावकों को पुत्र-पुत्रियों में समानता और आपसी सम्मान का भाव विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न पीढ़ियों के स्तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा से लिंग-आधारित हिंसा समाप्त करने में कामयाबी हासिल की जा सकती है।

महिलाओं की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का योगदान:

- मोबाइल एप्स (निर्भया, शेरोज़, हिम्मत प्लस) महिलाओं को तुरंत सहायता प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग एआई आधारित सुरक्षा उपकरण, साइबर जागरूकता अभियानों और डिजिटल साक्षरता पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है।

- साइबर अपराध रोकने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र का विस्तार और डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। एआई आधारित पुलिस प्रबंधन से अपराध की अधिक आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।
- सुरक्षा उपकरण (Wearable Devices) आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सतर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल समाधानों को मजबूत करके सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है।

आर्थिक सशक्तिकरण: हिंसा रोकने वाला सबसे शक्तिशाली कवच

- उल्लेखनीय है कि आर्थिक स्वतंत्रता लिंग आधारित हिंसा रोकने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। महिलाएं अक्सर आर्थिक तंगी के कारण ही यौन-प्रताड़ना झेलने पर मजबूर होती है और शोषण का प्रतिरोध भी नहीं कर पाती।
- ऐसे में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर निश्चित ही उन्हें शोषण और प्रताड़ना के चंगुल से मुक्त होकर अपने ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।
- इस संदर्भ में विभिन्न सरकारी पहलें जैसे स्किल इंडिया रोजगार बढ़ाती हैं, जबकि मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया वित्तीय सहायता देकर महिलाओं को उद्यमिता के

लिए प्रोत्साहित करती हैं। वहीं लखपति दीदी योजना 2 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। साथ ही 'STEM' और 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' में महिलाओं की भागीदारी भविष्य के उच्च वेतन वाले करियर का मार्ग खोलती है।

- समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल आर्थिक शोषण रोककर समावेशी व्यावसायिक वातावरण बनाते हैं।
- ध्यातव्य है कि आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम होंगी, जिससे वे सुरक्षित, सशक्त और स्वतंत्र जीवन जी सकेंगी।

महिलाओं के प्रति साइबर हिंसा का समाधान:

- डिजिटल पैठ बढ़ने के साथ ही साइबर हिंसा नए युग की चुनौती बनकर उभरी है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और बिना सहमति के चित्र शेयर करने जैसे अपराध बढ़े हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'डिजिटल शक्ति' कार्यक्रम जैसी पहलें शुरू की हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, यौन कदाचार रोकने के

वास्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रयोग करने की आजादी मिल जाएगी।

लैंगिक हिंसा रोकने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका:

- महिलाओं के लिए एक सुरक्षित परिवेश, आर्थिक सशक्तिकरण और कानूनी सहायता के लिए सरकार, निजी कंपनियां, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।
- कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंग-ऑडिट और आंतरिक शिकायत समितियां (ICC) लागू की जा रही हैं, जिससे यौन उत्पीड़न निवारण कानून का पालन हो।
- सुरक्षित परिवहन के लिए 'सुरक्षित नगर परियोजना', GPS ट्रैकिंग, आपात बटन और प्रमाणित ड्राइवरों की जरूरत पर बल दिया गया है।
- आर्थिक सशक्तिकरण में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और इंटरनेट साथ जैसी योजनाएं डिजिटल और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही हैं।

- अनुसंधान और विकास में AI आधारित सुरक्षा उपकरण, लीगल टेक समाधान, और वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित करने के लिए CSR कोष का उपयोग किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि मजबूत सार्वजनिक-निजी सहयोग जुटाकर ऐसी बहुआयामी पहले विकसित की जा सकती हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराएगी।

संघर्षग्रस्त और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा:

- उल्लेखनीय है कि संघर्षग्रस्त और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लिंग-आधारित हिंसा की शिकार बनने की ज्यादा संभावना रहती है और इसीलिए आपदा प्रतिक्रिया नीतियों में महिला संरक्षण तंत्र को भी समाहित करना जरूरी है।
- ऐसे में लिंग-आधारित हिंसा रोकने वाली आपदा नीतियों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों और मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए कि वे हिंसा रोकने और उससे निपटने के लिए क्या करें।

- इस संदर्भ में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले क़ानून और पॉक्सो कानून तथा अनैतिक कारोबार निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को लागू करने की व्यवस्था मजबूत करना संकट की स्थिति में फंसी कमजोर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
- संवेदनशील मामलों में ऐसी स्थितियों से निपटने में विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला सुरक्षा कार्यबल तैनात करने से पीड़ितों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पहलों को बढ़ावा देने से विश्वास बढ़ाने और स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

महिला सुरक्षा हेतु सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता:

- महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और शैक्षिक स्तर पर समेकित हस्तक्षेप आवश्यक हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र के सहयोग से काम कर रहा है।
- इस अभियान के प्रमुख स्तम्भ हैं:
  - ➢ कानून लागू करने की मजबूत व्यवस्था

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

➢ टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग

➢ सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन

➢ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

- उल्लेखनीय है कि महिलाओं के प्रति हिंसा केवल कानून और पुलिस का मुद्दा नहीं है; यह नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता है। सामूहिक प्रयासों से ही हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर महिला सम्मान के साथ, सुरक्षित रूप से और हिंसा-मुक्त वातावरण में रह सकती है।